**Date:** 23 जून 2023

# ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स

**सिलेबस: जीएस 2 / अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट / सूचकांक**

**सदर्भ-**

- हाल ही में, **विश्व आर्थिक मंच (WEF)** ने अपनी वार्षिक **जेंडर गैप रिपोर्ट 2023** जारी की।

**ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में-**

यह **चार प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता** की दिशा में प्रगति पर देशों का मूल्यांकन करता है।

- आर्थिक भागीदारी और अवसर
- शिक्षा का अवसर
- स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता
- राजनीतिक सशक्तीकरण

प्रमुख बिन्दु-

- यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला सूचकांक है, जो वर्ष 2006 में स्थापना के बाद से समय के साथ लैंगिक अंतरालों को समाप्त करने की दिशा में हुई प्रगतिको ट्रैक करता है।
- चार उप-सूचकांकों में से प्रत्येक पर और साथ ही समग्र सूचकांक पर **GGG सूचकांक 0 और 1 के बीच स्कोर प्रदान करता है**, जहाँ 1 पूर्ण लैंगिक समानता को दर्शाता है और 0 पूर्ण असमानता की स्थिति का सूचक है।
- रिपोर्ट का लक्ष्य समय के साथ प्रगति के आकलन के लिए एक **सुसंगत वार्षिक मानदंड** प्रदान करना है।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर महिलाओं व पुरुषों के बीच **सापेक्ष अंतराल पर प्रगति को ट्रैक करने के लिये दिशासूचक के रूप में कार्य करना।**

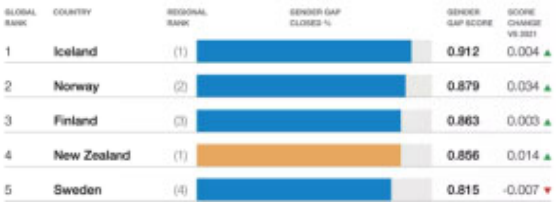

| GLOBAL RANK | COUNTRY | REGIONAL RANK | GENDER GAP CLOSED % | GENDER GAP SCORE | SCORE CHANGE VS 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | (1) | | 0.912 | 0.004 ▲ |
| 2 | Norway | (2) | | 0.879 | 0.034 ▲ |
| 3 | Finland | (3) | | 0.863 | 0.003 ▲ |
| 4 | New Zealand | (1) | | 0.856 | 0.014 ▲ |
| 5 | Sweden | (4) | | 0.815 | -0.007 ▼ |

**प्रमुख हाइलाइट्स 2023 रिपोर्ट-**

**वैश्विक परिदृश्य:**

- इस संस्करण में शामिल सभी 146 देशों के लिए 2023 में वैश्विक लिंग अंतर स्कोर **68** है।

- सूचकांक के अनुसार, किसी भी देश ने अभी तक पूर्ण लिंग समानता हासिल नहीं की है, हालांकि शीर्ष नौ देशों (आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, जर्मनी, निकारागुआ, नामीबिया और लिथुआनिया) ने अपने अंतर का **कम से कम 80%** बंद कर दिया है।

## भारत की स्थिति-

- लैंगिक समानता के मामले में भारत **146 देशों में से 127वें** स्थान पर है, जो 2022 से आठ स्थानों का सुधार है।
- **2022** रिपोर्ट के संस्करण में भारत **135** वें स्थान पर था।
- देश ने शिक्षा के सभी स्तरों पर **नामांकन** में **समानता** प्राप्त की थी।
- भारत ने समग्र लैंगिक अंतर को 64.3% कम कर दिया है।
- आर्थिक भागीदारी और अवसर के क्षेत्र में प्रगति भारत के लिये एक चुनौती बनी हुई है। इस क्षेत्र में **केवल 36.7% लैंगिक समानता** हासिल की गई है।
- भारत में, जबकि **मजदूरी** और **आय** में **समानता** में **वृद्धि** हुई थी, पिछले संस्करण के बाद से **वरिष्ठ पदों** और तकनीकी भूमिकाओं में **महिलाओं** की हिस्सेदारी में थोड़ी गिरावट आई थी।
- भारत ने राजनीतिक सशक्तीकरण में प्रगति की है तथा इस क्षेत्र में **25.3% समानता** हासिल की है। संसद में **कुल सांसदों की तुलना में महिला सांसद प्रतिनिधित्व 15.1%** है जो वर्ष 2006 में **प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद से सबसे अधिक** है।
- **स्वास्थ्य और उत्तरजीविता: एक दशक से अधिक की धीमी प्रगति** के बाद भारत में जन्म के समय **लिंगानुपात में 1.9% अंक का सुधार** हुआ है।

## चुनौतियों-

- श्रम बाजार में **लैंगिक समानता** की स्थिति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- हाल के वर्षों में न केवल विश्व स्तर पर **श्रम बाजार** में महिलाओं **की भागीदारी** में गिरावट आई है, बल्कि आर्थिक अवसर के अन्य महिलाओं और पुरुषों के बीच काफी असमानताएं दिखा रहे हैं।
- **एसटीईएम** कार्यबल में महिलाओं का **प्रतिनिधित्व काफी कम है**।
- **लगातार डिजिटल** विभाजन को देखते हुए, महिलाओं और पुरुषों के पास वर्तमान में समान अवसर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं है।
- व्यावसायिक नेतृत्व में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले की तरह, राजनीतिक नेतृत्व में लिंग अंतर जारी है।

## सुझाव-

- **महिलाओं की आर्थिक भागीदारी** और व्यवसाय में लिंग समानता प्राप्त करना, परिवारों, समाजों और अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक लिंग अंतराल को संबोधित करने
- निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के नेताओं द्वारा **सामूहिक, समन्वित** और लिंग समानता की दिशा में प्रगति में तेजी लाने और नए सिरे से विकास और अधिक लचीलापन को प्रज्वलित करने में सहायक होगी।

**स्रोत: TH**

**Rajiv Pandey**

# ‘नाटो प्लस फाइव’ का दर्जा

**सिलेबस: जीएस 2 /**

**संदर्भ-**

- हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस समिति ने भारत को ‘नाटो प्लस फाइव’ रक्षा दर्जा देने के लिए कानून लाने की सिफारिश की।

**नाटो प्लस पांच क्या है?**

- ‘उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) प्लस’ (वर्तमान में नाटो प्लस 5) एक सुरक्षा व्यवस्था है, जो रक्षा और खुफिया संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नाटो और पांच देशों- ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इज़राइल व दक्षिण कोरिया को एक साथ लाती है।

**भारत को फायदा-**

- नाटो प्लस सुरक्षा व्यवस्था में भारत को शामिल करने से इन देशों के बीच **सहज खुफिया जानकारी साझा करने** में मदद मिलेगी और भारत बिना किसी समय अंतराल के नवीनतम सैन्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच सकेगा।
- यह **वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने** और भारत-प्रशांत क्षेत्र में **चीन की आक्रामकता को रोकने के** लिए अमेरिका और भारत की घनिष्ठ साझेदारी पर आधारित होगा।

**चिंता-**

- **भारत-रूस संबंध कमजोर होना:** अगर भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन में शामिल होता है जो रूस के साथ मौजूदा युद्ध में यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, तो यह रूस के साथ भारत के संबंधों को सीधे प्रभावित करेगा।
- **गुट निरपेक्ष आंदोलन** (एनएएम) का मुख्य उद्देश्य यह था कि इसके सदस्य तटस्थ रहें और किसी भी पावर ब्लॉक में शामिल न हों।

**भारत का रुख-**

- भारत ने नाटो में शामिल होने से इनकार कर दिया और कहा कि इस पश्चिमी गठबंधन में शामिल होना भारत के पक्ष में नहीं है।

**उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो)-**

- ‘उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) है, एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है।
- इस संगठन में अमेरिका, यूके, कनाडा और फ्रांस जैसे अन्य देश शामिल हैं।
- इस संगठन के देशों पर अगर कोई हमला करता है तो सभी सदस्य देश एक दूसरे की मदद करेंगे और विरोधी देश पर एक साथ हमला करेंगे।

**मुख्यालय:-**

- इसका मुख्यालय **ब्रुसेल्स, बेल्जियम** में स्थित है।

**पृष्ठभूमि:-**

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के हमले के खिलाफ **सामूहिक सुरक्षा** प्रदान करने के लिए वाशिंगटन, डीसी में 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि (जिसे वाशिंगटन संधि के रूप में भी जाना जाता है) पर हस्ताक्षर करने के साथ यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों द्वारा स्थापित किया गया था।

**सामूहिक रक्षा:-**

- अनुच्छेद 5 के अनुसार, नाटो **सामूहिक रक्षा** के सिद्धांत पर काम करता है, जहां किसी भी नाटो सदस्य पर हमला **सभी नाटो सदस्यों पर हमला** माना जाता है, अब तक, अनुच्छेद 5 को एक बार लागू किया गया है – 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमलों के जवाब में।

**सदस्य:-**

- इसमें 31 सदस्य देश शामिल हैं – दो उत्तरी अमेरिकी देश (यूएसए और कनाडा), 28 यूरोपीय देश और एक यूरेशियन देश (तुर्की)। फिनलैंड 2023 में 31वां सदस्य बना।

**नाटो की सदस्यता के लिए मानदंड:-**

- देश को कुछ मानदंडों को पूरा करना चाहिए, जिसमें एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली, एक बाजार वाला अर्थव्यवस्था और गठबंधन के मिशन और संचालन में योगदान करने की क्षमता शामिल है।
- नाटो में शामिल होने के लिए किसी देश को आमंत्रित करने का निर्णय सदस्य राज्यों के बीच सर्वसम्मति से होना चाहिए।

**Rajiv Pandey**

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com